

सूचना अधिकार अधिनियम - बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का विवरण

बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों का विवरण

एनएएल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक स्थापना है, भारत सरकार के एक स्वायत्त निकाय। इस प्रकार, यह समय-समय पर अपनाए गए सोसाइटी नियमों और विनियमों से शासित है।

सोसाइटी के कार्य

इसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआईआर की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा
- शासी निकाय को नीति निर्देश
- सीएसआईआर की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों की स्वीकृति

शासी निकाय के कार्य और शक्तियां

- सामान्यतः संस्थान के ज्ञापन में निर्दिष्ट सोसाइटी के उद्देश्य पूरा करना शासी निकाय का कार्य होगा।
- शासी निकाय, सोसाइटी के मामलों और धन को नियंत्रित करेगा और इस तरह की सीमाओं के लिए व्यय के संबंध में सोसाइटी के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू की जाती है।
- शासी निकाय, महा निदेशक, निदेशकों / राष्ट्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख, प्रबंधन परिषदों, प्रशासन नियंत्रकों, प्रयोगशाला के परियोजना लीडर और सोसाइटी के ऐसे अन्य अधिकारियों को अधिकार प्रदान कर सकते हैं, जो उनके कुशल कार्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- भारत सरकार की मंजूरी के साथ, शासी निकाय को उप विधियों को बनाने, संशोधित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार है, मगर सोसाइटी के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के इन नियम असंगत नहीं हैं।
- शासी निकाय में भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों या व्यक्तियों को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों में सोसाइटी के लिए एंडोमेंट्स, सहायता अनुदान, दान या उपहारों को स्वीकार करने और स्वीकार करने के लिए व्यवस्था करने की शक्ति होगी। बशर्ते कि ऐसी सहायता अनुदान, दान या उपहार, यदि कोई हो, सोसाइटी की शर्तों, या इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत या प्रकृति या वस्तुओं के विरोध में नहीं होगी।
- शासी निकाय में सरकारी, अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों से क्रय, उपहार या अन्यथा, अधिग्रहण और अधिग्रहण करने की शक्ति होगी, जो कि वही, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, संग्रह, अचल संपत्तियों, दान या अन्य निधियों को एक साथ हस्तांतरित करने के लिए तैयार हों। किसी भी परिचर्या दायित्वों और मामलों के साथ, संगोष्ठी के ज्ञापन और इन नियमों के प्रावधान में उल्लिखित वस्तु के अनुरूप नहीं हैं।
- शासी निकाय इस उद्देश्य हेतु समिति, उप-समिति, सलाहकार बोर्ड और ऐसे पैनल के विशेषज्ञों की रेसोल्यूशन द्वारा इस तरह की शक्ति के साथ नियुक्ति कर सकता है जैसे कि शासी निकाय को उचित लगता हो।

सलाहकार बोर्ड के कार्य

सलाहकार बोर्ड के कार्य होंगे: -

- शासी निकाय को वै-प्रौ इनपुट प्रदान करें
- अपने विज्ञान को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए सीएसआईआर को सलाह दें

- सीएसआईआर के प्रमुख अ-वि क्षेत्रों की समीक्षा
- नए अ-वि के परिप्रेक्ष्य, नेटवर्क / मिशन उन्मुख कार्यक्रमों और उनके अंतर-प्राथमिकताओं का सुझाव देना
- कोई अन्य कार्य जो शासी निकाय / महा निदेशक द्वारा सौंपा गया हो।

2

निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड के कार्य

- राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन
- समीक्षा के परिणाम से ए बी / जी बी को सलाह
- राष्ट्रीय प्रयोगशाला के निष्पादन में सुधार हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाना
- कोई अन्य कार्य जो सलाहकार बोर्ड / जीबी द्वारा सौंपा गया हो।

अनुसंधान परिषद के कार्य

- पंच वर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अवसर के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के निर्माण और प्रयोगशाला की गतिविधियों के भविष्य के दिशा निर्देशों पर सलाह देना ।
- आपसी हितों के कार्यक्रमों पर अन्य सीएसआईआर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ नेटवर्किंग का सुझाव।
- अ-वि गतिविधियों और अनुसंधान कार्यक्रमों की समीक्षा और भविष्य के निर्देशों पर सलाह
- प्रयोगशाला, उद्योग और संभावित ग्राहकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर सलाह।
- चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों का गठन / वैज्ञानिक कर्मचारियों के चयन हेतु पीर ग्रूप, योग्यता और मूल्यांकन पदोन्नति का गठन
- कोई अन्य कार्य जो महा निदेशक / शासी निकाय द्वारा सौंपा गया हो।

प्रबंधन परिषद के कार्य

- प्रयोगशाला के कार्यों का प्रबंधन
- सीएसआईआर द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपरिवर्तनीय मौद्रिक नुकसान और भण्डार को बट्टे खाते में डालना
- प्रयोगशाला / संस्थान की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों / सुविधाओं के लिए संसाधन आबंटन की सिफारिश
- प्रयोगशाला/ संस्थान के अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य गतिविधियों की प्रगति की निगरानी
- परियोजनाओं / गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना लीडर्स को शक्तियों के वितरण का सुझाव
- निदेशक की शक्तियों के अलावा संविदा अ-वि, परामर्श परियोजनाओं और आईपीआर लाइसेंसिंग की मंजूरी
- राष्ट्रीय प्रयोगशाला की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार
- सभी तकनीकी कर्मचारियों के लिए चयन समितियों और मूल्यांकन समितियों का गठन
- कोई अन्य कार्य जो महा निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।